



सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

13, वुड स्ट्रीट,  
कोलकाता -700016 (पश्चिम बंगाल)  
13, Wood Street,  
Kolkata-700016 (West Bengal)  
फैक्स/Fax : 033 - 22879038  
दूरभाष/Telephone : 033 - 22875732/33/34  
ई-मेल/e-mail : wbs.gdc soi@gov.in






भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
Survey of India  
पश्चिम बंगाल व सिक्किम  
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र  
W.B. & SIKKIM GEO-  
SPATIAL DATA CENTRE  
कोलकाता KOLKATA

**पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता से सम्बन्धित नेमी आदेश सं.16/37-जी-11 दिनांक 19.10.2022**

**Routine Order No. 16/37-G-20 dated 19.10.2022 in respect of Eastern Zone Office, Kolkata**

1. प्रशासन को मजबूत बनाना – 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के पुनरीक्षण मामले पर पुनर्विचार

**STRENGTHENING OF ADMINISTRATION – REVIEW CASES OF GOVT. SERVANTS ON THEIR ATTAINING 50 YEARS AGE OR ON COMPLETION OF 30 YEARS OF QUALIFYING SERVICE**

सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) अधिकारी को उनके नाम के सामने उद्धृत टिप्पणियों के अनुसार, उनके 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया गया है।

The following Group 'B' (Gazetted) Officer of Eastern Zone, Kolkata has been permitted to be retained in Govt. Service by the Competent Authority on attaining 50 years age as per the remarks quoted against his name.

क्रम सं. SL. NO.	कर्मचारी का नाम व पदनाम NAME & DESIGNATION	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर / 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर ATTAINING 50 YEARS OF AGE / COMPLETION OF 30 YEARS OF QUALIFYING SERVICE
1.	Shri Dipankar Dutta, Officer Surveyor	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर Attaining 50 years of age

( प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं.सी-5084/854-आर (गजटेड) दिनांक 8/9 सितम्बर .2022 )

( उदय शंकर प्रसाद / Uday Shanker Prasad )

निदेशक / Director  
पश्चिम बंगाल एब सिक्किम जीडीसी,  
कोलकाता  
West

Bengal & Sikkim GDC, Kolkata

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वेबसाईट एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी लेखा।
5. फाईल- सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजिका।
6. नोटिस बोर्ड।